N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0194 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 31/07/2025 14:47 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 25/07/2025 Date To (दिनांक तक): 29/07/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 19:12 बजे Time To (समय तक): 15:20 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 31/07/2025 Time (समय): 12:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 31/07/2025 14:47:54 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 23 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b)Address(पता): POLICE THANA CHAURASI/JHAUTHRI, JILA DUNGARPUR
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): JEEVA KATARA

(b) Father's Name (पिता का नाम): GAUTAM KATARA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1960 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NEGALA PHALA BHERV, CHAURASI, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	NEGALA PHALA BHERV, CHAURASI, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JEEVAN LAL PATAL		पिता:NAGJEE PATAL	1. GAON KANBA, BICHIWARA,DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदयजी, वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांकः-25.07.2025 को समय 06.00 पी.एम पर श्री रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक अवकाश भुगतने कार्यालय से रवाना हुये व श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक सीएल अवकाश में होने से पुलिस उप अधीक्षक महोदय द्वारा अपने कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज की चाबी व चोकी का चार्ज श्री करण सिंह सहायक उपनिरीक्षक के जिम्मे किया गया। समय 07.12 पी.एम पर श्री रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक द्वारा जरिये दुरभाष सहायक उपनिरीक्षक को बताया कि कल दिनांक 26.07.2025 को समय करीब 08.30 एएम पर परिवादी श्री जीवा कटारा चोकी पर उपस्थित आयेगा जिससे रिपोर्ट प्राप्त कर सुरक्षित कार्यालय में अपने पास रखे व दिनांक 29.07.2025 को पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह के बाद अवकाश भुगत कार्यालय पर उपस्थित होने पर पेश करे तथा पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोंईस रिकार्डर व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड निकलवाकर डिजिटल वोंईस रिकार्डर में मेमोरी कार्ड लगा कर परिवादी को डिजिटल वोंईस रिकार्डर के संचालन की विधि को समझाईश कर कानि श्री महेशचन्द्र न. 394 को परिवादी के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता संदिग्ध से करने हेतु डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय् एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड को परिवादी को सुपुर्द कर आवशयक हिदायत के रवाना करे। जिस पर सहायक उप निरीक्षक द्वारा कानि. श्री महेशचन्द्र न. 394 को दिनांक 26.07.2025 समय करीब 8.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 26.07.2025 को समय करीब 08.30 ए.एम पर परिवादी श्री जीवा पिता गौतम कटारा जाति मीणा उम्र 65 वर्ष व उसका भतिजा श्री हरिशचंद्र पिता शंकर कटारा जाति मीणा उम्र 25 वर्ष निवासी नेगाला फला भेरव थाना चैरासी (झोथरी) जिला डूंगरपुर ने उपस्थित चोकी होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की जिस पर श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक महोदय द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार कार्यालय के कानि0 श्री महेशचन्द्र नं0 394 को सहायक उप निरीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री जीवा कटारा व श्री हरिशचंद्र कटारा और कानि0 श्री महेशचन्द्र नं0 394 का आपस में परिचय कराया गया व परिवादी व कानि0 के मोबाईल नम्बर परस्पर साझा कराये गये। सहायक उपनिरीक्षक ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में पुलिस उप अधीक्षक महोदय के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोंईस रिकार्डर व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड SANDISK 8 GB Micro SDHC निकाल कर डिजिटल वोंईस रिकार्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वोंईस रिकार्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वोंईस रिकार्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। परिवादी व उसके भतिजे को डिजिटल वोंईस रिकार्डर के संचालन की विधि की समझाईस कर संदिग्ध श्री जीवण लाल एएसआई से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय् उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर श्री जीवण लाल एएसआई से वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत दी गई तथा कानि. श्री महेशचंद्र नं0 394 को उसकी निजी मोटर साईकिल से तथा परिवादी व उसके भतिजे मय डिजिटल वोंईस रिकार्डर के उसकी निजी मोटर साईकिल के साथ समय 10.00 ए.एम पर पुलिस थाना चैरासी (झोथरी) की तरफ रवाना किया गया। हालात श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक महोदय को जरिये मोबाईल अर्ज किये गये। समय करीब 06.15 पी.एम पर कानि. श्री महेशचन्द्र नं0 394 उपस्थित चैकी हो कानि. ने डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को सहायक उपनिरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि हालात मेने श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक महोदय को जरीये मोबाईल अर्ज किये जिस पर श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक महोदय ने उक्त डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को यथास्थिति पुलिस उप अधीक्षक महोदय के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे सुरक्षित रखने व दिनांक 29.07.2025 को पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह के कार्यालय पर उपस्थित होने पर पेश करने का निर्देश दिया। जिस पर सहायक उपनिरीक्षक ने परिवादी द्वारा पेश हस्तलिखित रिपोर्ट व डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को यथास्थिति सुरक्षित पुलिस उप अधीक्षक महोदय के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी तथा हालात श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक महोदय को जरिये मोबाईल अर्ज किये गये। दिनांक 29.07.2025 समय करीब 08.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक राजेन्द्र सिंह बाद अवकाश हाजिर कार्यालय आया जिन्हे श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सहायक उपनिरीक्षक द्वारा दिनांक 26.07.2025 को परिवादी श्री जीवा कटारा द्वारा पेश उसके भतिजे श्री हरिशचंद्र कटारा (सहपरिवादी) द्वारा हस्तलिखित रिपोर्ट व डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को पुलिस उप अधीक्षक महोदय के कार्यालय कक्ष की

टेबल के दराज से निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश कर हालात अर्ज किये। समय करीब 08.40 ए.एम पर दिनांक 26.07.2025 को परिवादी श्री जीवा पिता गौतम कटारा जाति मीणा उम्र 65 वर्ष व उसका भतिजा श्री हरिशचंद्र पिता शंकर कटारा जाति मीणा उम्र 25 वर्ष निवासी नेगाला फला भेरव थाना चैरासी (झोथरी) जिला डूंगरपुर द्वारा उपस्थित कार्यालय हो एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि की "निवेदन इस प्रकार है कि मे जीवा पिता गोतम कटारा मिणा निवासी नेगाला फला भेरव उम्र 65 थाना झौथरी का इस प्रकार है कि मेरे छोटे भाई शंकर पिता गौतम कटारा व उसके लडके कालु को झौंथरी थाने के ASI साहब जीवनलालजी ने कल दिनांक 25.7.25 को थाने मे बन्द कर दिया था मे छुडाने के लिऐ गया तो मेरे साथ भी गाली गलोज की मेने पुछा मेरे भाई और उसके लडके कालु को कयो बन्द किया तो उन्होने बताये कि 4 महिने पहले कालु और अनिल पिता शंकर जो तेरे भाई के लडके है। उन्होने लाबासादोड झगडा किया था जिस की रिपोट है मेने कहा शंकर को कयो बन्द किया तो ASI साहब ने कहा अनिल ले आओ और उसके बाप शंकर को ले जाओ जिस पर मेने अनिल को ले दिया फिर ASI साहब ने कहा खरर्चा करोगे तो मुकदमे मे मदद होगा मेने हा कहा जिस पर शंकर को छोड दिया उन्होने मेरे भाई शंकर के साथ मार पीट भी की थी मेने कालु व अनिल को छोडने ASI साहब को हाथ जोडे तो उन्होने कहा 10,000 हजार रूपीया ले आओ और इन्हे छुडाकर ले जाओ मेने 3000 रूपये देने को कहा लेकिन वो नही मान रहै है आज फिर बुलाया है मे इनको रिश्वत राषि नही देना चाहता हु मेरे या शंकर की ASI साहब जीवनलाल जी से कोई उधारी या लेन देन नही है। मे ASI साहब जीवनलालजी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हु। कार्यवाही करावे।" जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा रिश्वत राशी मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट में बताये गए कथनो की ताईद होकर संदिग्ध श्री जीवण लाल एएसआई द्वारा परिवादी से रिश्वत राशी 10,000 रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। समय करीब 10.15 ए.एम पर परिवादी श्री जीवा पिता गौतम कटारा जाति मीणा उम्र 65 वर्ष व उसका भतिजा (सहपरिवादी) श्री हरिशचंद्र पिता शंकर कटारा जाति मीणा उम्र 25 वर्ष निवासी नेगाला फला भेरव थाना चैरासी (झोथरी) जिला डूंगरपुर उपस्थित कार्यालय आये। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि ये मेरे भाई शंकर कटारा का पुत्र है मै केवल हस्ताक्षर करना जानता हुं मै पढा लिखा नही हॅु यह रिपोर्ट मेरे भतिजे हरिशचंद्र द्वारा लिखी गई है। मेरे छोटे भाई शंकर पिता गौतम कटारा व उसके लडके कालु को झौंथरी थाने के एएसआई साहब जीवण लाल जी ने दिनांक 25.07.2025 को थाने मे बन्द कर दिया था मे छुडाने के लिऐ गया तो मेरे साथ भी गाली गलोज की मेने पुछा मेरे भाई और उसके लडके कालु को कयो बन्द किया तो उन्होने बताये कि 4 महिने पहले कालु और अनिल पिता शंकर जो तेरे भाई के लडके है। उन्होने लाबासादोड झगडा किया था जिस की रिपोट है मेने कहा शंकर को क्यु बन्द किया तो एएसआई साहब ने कहा अनिल ले आओ और उसके बाप शंकर को ले जाओ जिस पर मेने अनिल को ले दिया फिर एएसआई साहब ने कहा खरर्चा करोगे तो मुकदमे मे मदद होगा मेने हा कहा जिस पर शंकर को छोड दिया उन्होने मेरे भाई शंकर के साथ मार पीट भी की थी मेने कालु व अनिल को छोडने एएसआई साहब को हाथ जोडे तो उन्होने कहा 10,000 हजार रूपीया ले आओ और इन्हे छुडाकर ले जाओ मेने 3000 रूपये दिनांक 26.07.2025 को दे दिये है। लेकिन वो नही मान रहै है। मै इनको रिश्वत राशी नही देना चाहता हुं। जिस पर कानि. श्री महेशचन्द्र नं0 394 को बुलाकर पूछा गया तो कानि. ने बताया की "श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक साहब के निर्देशानुसार मैं कानि0 एसीबी चैकी डूंगरपुर से अपनी निजी मोटरसाईकिल से व परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा मय डिजिटल वोंईस रिकार्डर के उसकी निजी मोटर साईकिल से दिनांक 26.07.2025 को समय करीब 10.00 एम पर रवाना हो समय करीब 11.00 ए.एम पर पुलिस थाना चैरासी (झोथरी) के पास पहुंच परिवादी द्वारा गोपनीय रूप से पता किया तो संदिग्ध श्री जीवण लाल एएसआई पुलिस थाना चोरासी पर उपस्थित नही होना ज्ञात हुआ। जिस पर मै व परिवादी और सहपरिवादी पुलिस थाना चोरासी के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम रहे। तत्पश्चात करीब डेढ घण्टे बाद परिवादी ने मुझे बताया की संदिग्ध श्री जीवण लाल एएसआई पुलिस थाना चोरासी पर आ गये है। जिस पर मेरे द्वारा परिवादी व सहपरिवादी को समझाईश कर संदिग्ध श्री जीवण लाल एएसआई से रिश्वत राशी मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय् उसमें लगे मेमोरी कार्ड के समय करीब 12.46 पीएम पर चालु कर पुलिस थाना चोरासी के लिए रवाना किया गया तथा मै पुलिस थाना चोरासी के बाहर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्यात तथा मुझे बताया की श्री जीवण लाल एएसआई पुलिस थाना चोरासी पर नही है। जिस पर मैने उनको बताया की आप अपने मोबाईल का लाउड स्पीकर शुरू कर श्री जीवण लाल एएसआई को कॉल कर पता करो की वो थाने पर कब आ रहे है और उक्त वार्ता को डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय् उसमें लगे मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड करे। मै पुलिस थाना चोरासी के बाहर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम रहा। तत्पष्चात समय करीब 4.50 पी.एम पर परिवादी जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा मेरे पास आये तथा डिजिटल वोंईस रिकार्डर मुझ कानि को सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पष्चात परिवादी ने मुझे बताया कि रिश्वत राशी की बात श्री जीवण लाल एएसआई से हो गई है। एएसआई श्री जीवण लाल ने मुझसे 10,000 रूपये रिश्वत राशी की मांग की जिस पर मेने उनको 3000 रूपये दे दिये है। उक्त वार्ता को मैने डिजिटल वोंईस रिकार्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। जिस पर मुझ कानि0 द्वारा उक्त समस्त हालात श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक महोदय को जरिए मोबाईल

निवेदन किये जिस पर श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक महोदय ने मेरे मोबाईल से परिवादी जीवा कटारा से वार्ता की व परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र को संदिगध श्री जीवण लाल एएसआई को रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर दिनांक 29.07.25 को कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रवाना किया। तत्पश्यात श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक महोदय ने मन् कानि. को डिजिटल वोंईस रिकार्डर लेकर अपनी निजी मोटरसाईकिल से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय पंहुच डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के यथास्थिति श्री करण सिंह सहायक उपनिरीक्षक को पेश करने का निर्देश दिया जिस पर मै वहा से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय पंहुच डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के यथास्थिति श्री करण सिंह सहायक उपनिरीक्षक को पेश किया।" जिस पर परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिश कटारा द्वारा कानि. के कथनो की ताहिद की जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अब तक के सम्पूर्ण हालात उच्चाधिकारियों को अवगत कराये गये। जिस पर उच्चाधिकारियों द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री जीवा कटारा से संदिग्ध श्री जीवण लाल एएसआई को दि जाने वाली रिष्वत राशी के बारे में पूछा तो परिवादी श्री जीवा कटारा ने बताया की मै 5000 रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हुं। इससे अधिक रूपयो की व्यवस्था मै नही कर सकता हुं। इसके पश्चात् परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय करीब 11.00 ए.एम पर ट्रैप कार्यवाही के क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डुंगरपुर को एक राजपत्रित अधिकारी व एक अराजपत्रित कर्मचारी को पत्र वाहक के साथ दिनांक 29.07.2025 को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर भिजवाने बाबत् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1028 दिनांक 29.07.2025 से तेहरीर जारी कर श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 को कार्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डुंगरपुर मे तहरीर देने रवाना किया गया। समय करीब 11.30 ए.एम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 के साथ दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री जितेन्द्र अहारी पिता श्री कान्ति लाल जी अहारी जाति मीणा उम्र 42 वर्ष निवासी रोहनवाडा पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर हाल व्याख्याता (इतिहास) रा.उ.मा. विधालय गोकुलपुरा व श्री महर्षि व्यास पिता श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास जाति ब्राहमण उम्र 34 वर्ष निवासी 1/88 हाउसिंग बोर्ड षिवाजी नगर डूंगरपुर पुलिस थाना कोतवाली डूंगरपुर हाल वरिष्ठ सहायक रा.उ.मा. विधालय रोहनवाडा होना बताया। तत्पश्यात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान को की जाने वाली ट्रैप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु मौखिक सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी गई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय मे बैठे परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्यात दिनांक 26.07.2025 को परिवादी श्री जीवा कटारा द्वारा प्रस्तुत सहपरिवादी हरिशचंद्र कटारा द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को परिवादी, सहपरिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी व सहपरिवादी ने शब्द ब शब्द की पुष्टि कर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया। परिवादी ने बताया की मै केवल हस्ताक्षर करना जानता हुं मै पढा लिखा नही हॅु यह रिपोर्ट मेरे भतिजे हरिशचंद्र द्वारा लिखी गई है। तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोंईस रिकार्डर को चालू कर दिनांक 26.07.2025 को परिवादी, सहपरिवादी एवं संदिग्ध श्री जीवण लाल एएसआई के मध्य हुई रिश्वत राशी मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। समय करीब 12.10 पी.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री जीवा कटारा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशी भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5000/-रूपये प्रस्तुत किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है: - 1 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3AH 099529 2 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3 AH 099530 3 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3 AH 099538 4 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3 AH 099543 5 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3 AH 099546 6 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3 AH 099547 7 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3 AH 099549 8 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3 AH 099550 9 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2 NH 199695 10 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0 NT 615073 परिवादी श्री जीवा कटारा की जामा तलाशी गवाह श्री महर्षि व्यास से लिवाई गई। जिस में परिवादी के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे परिवादी को सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री जीवा कटारा द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 390 से पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशीयो को मंगवाया जाकर कार्यालय मे टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। संदिग्ध श्री जीवण लाल एएसआई को देने के लिए परिवादी श्री जीवा कटारा द्वारा पेश किये गये नोटो को श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से ही परिवादी श्री जीवा कटारा की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहीनी जेब में कोई शेष नही छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री वीर विक्रम सिंह कानि. 189 से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी

व सहपरिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री जितेन्द्र कुमार कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से ही पुलिस उप अधीक्षक महोदय के कार्यालय कक्ष की टेबल कि दराज में सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादी तथा सहपरिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी तथा सहपरिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशिया, प्लास्टिक के डिस्पोजल, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। कार्यालय में उपस्थित समस्त स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादी व सहपरिवादी का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी व सहपरिवादी तथा संदिग्ध के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री जीवा कटारा को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्ध से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादी, सहपरिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री जितेन्द्र कुमार कानि. को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। परिवादी को डिजीटल वोंईस रिकार्डर चालु व बंद करने की विधि को पुनः समझाकर डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को परिवादी को सुपूर्द कर संदिग्ध श्री जीवण लाल एएसआई से रिश्वत राशी लेनदेन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वोंईस रिकार्डर में रिकोर्ड करने की आवश्यक हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। समय करीब 01.57 पी.एम पर संदिग्ध श्री जीवण लाल एएसआई की लोकेषन जानने के लिए मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा के मोबाईल नं [redacted] को लाउड स्पीकर पर रखते हुए संदिग्ध श्री जीवण लाल एएसआई के मोबाईल नं [redacted] पर कॉल कर परिवादी श्री जीवा कटारा की वार्ता करवाई गई तो संदिग्ध श्री जीवण लाल एएसआई ने बताया की " मै अभी थाने पर हुं। उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड लिया गया। समय के अभाव में फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट अकब से मुर्तिब कि गई। समय करीब 02.15 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को बुलाकर पुलिस उप अधीक्षक महोदय के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज में से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी GalaxyXCover7 मोडल SM-G556B चार्जींग केबल, पावर बैंक व दो रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड SANDISK 8 GB Micro SDHC डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर रिश्वत राशी बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने तथा बरामदगी की वीडियोग्राफी के पष्चात उक्त मूल मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करने हेतु निर्देशीत किया गया तथा इसके अतिरिक्त संदिग्ध के आवास की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने हेतु एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड SANDISK 8 GB Micro SDHC श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर वीडियोग्राफी हेतु निर्देशित किया गया। समय करीब 02.15 पी.एम पर श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक भ्र.नि.ब्यूरो उदयपुर से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर हाजिर आये। तत्पश्यात समय करीब 02.30 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री जीवा कटारा एवं सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा को उसकी निजी मोटरसाईकिल से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय् मेमोरी कार्ड के पुलिस थाना चोरासी की ओर रवाना कर पिछे-पिछे श्री महेशचन्द्र कानि. एवं श्री बाबु लाल कानि. को निजी मोटरसाईकिल से, रवाना कर पिछे-पिछे श्री करण सिंह एएसआई., श्री वीर विक्रम सिंह कानि., श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक व स्वतन्त्र गवाह श्री महर्षि व्यास को निजी कार से रवाना करते हुए मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र अहारी श्री धिरेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री दीपक पाटीदार कानि. मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों के जरिये सरकारी वाहन संख्या आर.जे.-14-यू.जे. -1745 से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से पुलिस थाना चोरासी की तरफ रवाना हुए। समय करीब 03.00 पी.एम पर मन् पुलिस

निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवानाशुदा पुलिस थाना चैरासी जिला डूंगरपुर के आस-पास पंहुच अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया। जहा परिवादी ने अपने पास से डिजिटल वोंईस रिकार्डर को निकाल कर कानि. श्री महेशचन्द्र को दिया जिस पर कानि. महेशचन्द्र द्वारा उसे शुरू कर समय 03.07 पी.एम पर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी व सहपरिवादी को पुलिस थाना चोरासी जिला डूंगरपुर के लिए रवाना किया व मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में पुलिस थाना चोरासी के आस-पास मुकिम रहे। समय करीब 03.20 पी.एम पर परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा ने आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्यात पुलिस थाना चैरासी से बाहर आकर पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर कर किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने हाथ से ईशारा कर श्री करण सिंह एएसआई को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना बताया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक व हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से रवाना हो परिवादी व सहपरिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डरमें रिकॉर्ड की उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। जिसे मेरे द्वारा बंद कर मेरे पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा को साथ लेकर पुलिस थाना चोरासी के परिसर मे पहुचे जहा परिवादी परिसर मे खडे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री जीवण लाल एएसआई हैं जिन्होने अभी थोडी देर पहले अपनी मांग के अनुसार 5000 रूपये मेरे से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की आगे की बाई जेब मे रखे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय पत्र दिखाते हुए स्वंय का तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका नाम पूछा तो आरोपी घबरा गया। तत्पश्यात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी को पुनः तसल्ली देते हुए उसका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री जीवण लाल पटेल पिता श्री नगजी पटेल उम्र 47 वर्ष जाति पटेल निवासी गांव कनबा पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चोरासी जिला डूंगरपुर का होना बताया। तत्पश्यात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री महेशचंद्र कानि. को आरोपी का बाया हाथ एवं श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक को आरोपी का दाहिना हाथ कलाई के उपर से पकड़वाया जाकर उसी अवस्था में मौके से डिटेन कर थानाधिकारी पुलिस थाना चोरासी के कार्यालय कक्ष मे ले गये। तत्पष्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना स्वयं का परिचय देते हुये आरोपी से पूछा की आपका क्या नाम है तो आरोपी ने अपना नाम जीवण लाल बताया फिर आरोपी से उसका पद पूछा तो आरोपी ने बताया एएसआई परिवादी श्री जीवा कटारा की ओर ईशारा करते हुए आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई से पूछा कि आप इसको जानते हो, इसका नाम क्या है, तो आरोपी ने बताया जानता हुं, आरोपी से परिवादी का नाम पूछा तो आरोपी ने जीवा भाई बताया, परिवादी से आरोपी की तरफ ईशारा कर पूछा क्या नाम है तो परिवादी ने बताया जीवण भाई उसके बाद परिवादी की ओर ईशारा करते हुए आरोपी से पूछा की आपने इससे काई के लिए तो आरोपी ने बताया की प्रकरण था प्रकरण मे छोरे का नाम आ रहा था तो बुलाये थे, तो आरोपी से पूछा कोनसा प्रकरण था तो आरोपी ने बताया मुकदमा है मारपीट का, तो आरोपी से पूछा कितने रूपये लिये आपने, तो आरोपी ने बताया नही लिये, ये आये थे हेल्प करना हमारे छोरो की, आरोपी से पूछा फिर क्या किया आपने तो आरोपी ने बताया की मेने कहा सब छोरो को बुला लो पैसे नही लिये साहब, जबर जस्ती दे दिये पांच हजार, फिर आरोपी पूछा कब दिये अभी, आरोपी से पूछा कहा है तो आरोपी ने पेन्ट की आगे की बाई जेब की तरफ ईशारा करते हुये कहा इस जेब मे, आरोपी से पूछा पहले कितने लिए तो आरोपी ने बताया नही लिये जिस पर परिवादी से पूछा इन्होने कितने मांगे थे टोटल तो परिवादी ने बताया दस हजार, तो परिवादी से पूछा पहले कितने दिये थे आपने तो परिवादी ने बताया तीन हजार, परिवादी से पूछा आज कितने दिये तो परिवादी ने बताया पांच हजार। तत्पष्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में रिश्वत राशी बरामद किया जाना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह श्री महर्षि व्यास से आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई की पहनी हुई पेन्ट बरंग काला की आगे की बाई जेब की तलाशी लिवाई गई तो उक्त जेब से 500-500 रूपये के कुछ नोट बरामद हुए, जिसे स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशी 5000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बर निम्नानुसार समान पाये गयेः- 1 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3AH 099529 2 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3 AH 099530 3 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3 AH 099538 4 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3 AH 099543 5 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3 AH 099546 6 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3 AH 099547 7 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3 AH 099549 8 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3 AH 099550 9 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2 NH 199695 10 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 0 NT 615073 उपरोक्त बरामद शुदा रिश्वत राशी भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशि 5000 रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री महर्षि व्यास को अपने पास ही सुरक्षित रखने की आवश्यक हिदायत देकर सम्भलाई गई। इसके अलावा आरोपी के पास एक मोबाईल रेडमी 5जी कम्पनी का हो जिसमे दो सिमकार्ड लगे हो एक जीओ कम्पनी की सिम जिसके नम्बर [redacted] व दुसरी सिम वोडाफोन कम्पनी की जिसके नम्बर [redacted] होना बताया। उक्त मोबाईल को स्वतन्त्र गवाह श्री महर्षि

व्यास को सम्भलाया गया। तत्पश्यात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में आरोपी के दोनों हाथों का धोवन एवं पहनी हुई पेन्ट की आगे की बाई जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कानि. श्री वीर विक्रम सिंह से सरकारी वाहन बोलेरो में रखे हुए ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर ट्रैप बॉक्स मे से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में पुलिस थाने मे पीने के पानी की बोतल मे से अलग-अलग पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी तथा सहपरिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया। जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शीशियो को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शीशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शीशियो को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1व LH-2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शीशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्यात आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की आगे की बाई जेब जहां से रिश्वत राशी 5000 रूपये बरामद की गयी, उक्त जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी का दुसरा पेन्ट मंगवा कर आरोपी की पहनी हुई उक्त पेन्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ससम्मान उतरवाकर आरोपी को दुसरा पेन्ट पहनाया जाकर ब्यूरो कार्यालय के श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारददर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवा कर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया तथा उक्त गिलास के रंगहीन घोल में उक्त पेन्ट की आगे की बाई जेब को उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब के धोवन के घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शीशियो को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P-1 व P-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पष्चात् उक्त पहनी हुई पेन्ट की आगे की बाई जेब को सुखाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्यात उक्त पेन्ट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क P-3 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् रिश्वत राशी भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशि 5000 रूपये जो आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की आगे की बाई जेब से दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद हुए हैं जो स्वतंत्र गवाह श्री महर्षि व्यास के पास में सुरक्षित रखवाये गये थे जो श्री महर्षि व्यास द्वारा पेश किये जाने पर उक्त रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राषि 5000 रूपये के नोटों को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। कार्यवाही मे प्रयुक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को स्वतन्त्र गवाहान की मौजुदगी में जलाकर नष्ट किये गये। फर्द बरामदगी ब्यूरो कार्यालय के लैपटॉप पर पुलिस थाना चोरासी जिला डूंगरपुर पर समय करीब 04.30 पी.एम. पर समाप्त की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान धारा 105, बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना करते हुए उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि0 नम्बर 393 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 04.40 पी.एम पर परिवादी श्री जीवा कटारा के भतीजे अनिल, कालु पिता शंकर कटारा निवासी नेंगाला के विरूद्ध दर्ज प्रकरण एवं इस्तगासा की प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध कराने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना चैरासी (झौथरी) को जरिये पत्र क्रमांक-एसपीएल दिनांक 29.07.2025 से पत्राचार किया गया। जिस पर पुलिस थाना चोरासी पर उपस्थित श्री कान्तिलाल हैड कानि. नं. 103 द्वारा परिवादी के भतीजे के विरूद्व दर्ज प्रकरण एवं इस्तगासा की थानाधिकारी पुलिस थाना चोरासी की सील से स्वयं द्वारा हस्ताक्षर शुदा प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध कराई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द अलग से मुर्तिब कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्यात समय करीब 05.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बाबुलाल कानि0 नम्बर 393 को रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी से वीडियोग्राफी करने तथा वीडियो को ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 8 GB Micro SDHC में रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी मोबाईल फोन मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर निर्देषित किया गया था। जिस पर श्री बाबु लाल कानि0 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पष्चात सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 8 GB Micro SDHC निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। आरोपी श्री जीवन लाल पटेल एएसआई के रिहायशी आवास पुलिस थाना चैरासी (झौथरी) की बैरक में ही होना बताये जाने पर उक्त बैरक की खाना तलाशी ली जानी हैं इस हेतु श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 के पास रखे एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड SANDISK 8 GB Micro SDHC जो पूर्व में श्री बाबुलाल

कानि0 को सुपुर्द किया गया था जिसे सरकारी मोबाईल फोन में लगवाकर मन् पुलिस निरीक्षक, मय दोनों गवाहान एवं आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई, श्री बाबु लाल कानि. मय सरकारी मोबाईल फोन के उक्त बैरक में पंहुच कर नियमानुसार खाना तलाशी ली गई तथा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 से सरकारी मोबाईल फोन से उक्त खाना तलाशी की विडियोग्राफी करवायी गई तथा फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा श्री बाबु लाल कानि0 द्वारा उक्त बैरक की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पश्यात सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 8 GB Micro SDHC निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। समय करीब 05.20 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। दर्ज रहे कि मौके पर बारिश होने के कारण बिजली बार-बार आ जाने की वजह से व मौके की कार्यवाही बाकी नही होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु समय करीब 05.45 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियानों, स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई, सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रैप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के अपने-अपने वाहनों से पुलिस थाना चोरासी (झौथरी) जिला डूंगरपुर से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर के लिए रवाना हो समय करीब 06.25 पी.एम पर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पहुंच सिलचिटशुदा आर्टिकल व ट्रेप बॉक्स को कानि. श्री वीर विक्रम सिंह को सम्भलाया गया। समय करीब 6.30 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार व श्री महर्षि व्यास व परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा एवं आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 26.07.2025 को आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई एवं परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को जो कि कार्यालय के डिजीटल वोंईस रिकार्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटाप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री महेश चन्द्र कानि न 394 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री जीवा कटारा ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई की होने की पुष्टि की तथा श्री जीवण लाल पटेल एएसआई ने भी उपरोक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्यात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पष्चात दिनांक 30.07.2025 को समय करीब 12.05 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार व श्री महर्षि व्यास व परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा एवं आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 29.07.2025 को समय 01.57 पी.एम पर आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई एवं सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा के मोबाईल से परिवादी श्री जीवा कटारा के मध्य हुई मोबाईल वार्ता को जो कि सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा के मोबाईल को लाउडस्पीकर कर कार्यालय के डिजीटल वोंईस रिकार्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लैपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिब शुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री जीवा कटारा ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई की होने की पुष्टि की तथा श्री जीवण लाल पटेल एएसआई ने भी उपरोक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके तत्पश्यात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 12.20 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार व श्री महर्षि व्यास व परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा एवं आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 29.07.2025 को आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई एवं परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता को जो कि कार्यालय के डिजीटल वोंईस रिकार्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकाई की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लैपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्डशुदा उपरोक्त वार्ता में परिवादी श्री जीवा कटारा ने एक

आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई की होने की पुष्टि की तथा श्री जीवण लाल पटेल एएसआई ने भी उपरोक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोंईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्यात समय करीब 01.30 ए.एम पर जरिये दुरभाष पाबन्दशुदा श्री राकेश कटारा पुत्र स्व. श्री हवसिंह कटारा उम्र 42 वर्ष निवासी रातितलाई जिला बांसवाडा हाल उपनिरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना चोरासी जिला डूंगरपुर हाजिर कार्यालय आये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार व श्री महर्षि व्यास व आरोपी श्री जीवण लाल एएसआई के समक्ष आरोपी श्री जीवण लाल हाल एएसआई की परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा से दिनांक 26.07.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 29.07.2025 को परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी हरिशचंद्र की आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान हुई वार्ताओं, जिनकी मूल मेमोरी कार्ड जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्ड में हैं उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कानि. श्री महेशचन्द्र से लैपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ताओं को बारी-बारी से चलाकर श्री राकेश कटारा थानाधिकारी पुलिस थाना चोरासी को सुनाई गई, तो उक्त दर्ज वार्ताओ में श्री राकेश कटारा थानाधिकारी ने एक आवाज श्री जीवण लाल एएसआई पुलिस थाना चोरासी की होना बताया। श्री राकेश कटारा थानाधिकारी ने बताया कि मैं पुलिस थाना चोरासी मे थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित हुं। मेरे अधीनस्थ श्री जीवण लाल एएसआई की आवाज को मै पहचानता हू तथा अन्य आवाज की पहचान नहीं की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पष्चात श्री राकेश कटारा थानाधिकारी पुलिस थाना चोरासी जिला डूंगरपुर को रूकसत किया गया। समय करीब 02.00 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार व श्री महर्षि व्यास व आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई के समक्ष आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई का मोबाईल ट्रेप कार्यवाही में के मोबाईल की आवश्यकता होने से आरोपी का रेडमी कम्पनी माडल 13 C 5 G बरंग सनसाईन पिक मय दो सिम मोबाईल एक जीओ कम्पनी की सिम जिसके नम्बर [redacted] व दुसरी सिम वोडाफोन कम्पनी की जिसके नम्बर [redacted] हो आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई द्वारा बताये गये उक्त मोबाईल को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। जिसका मार्क R-5 अंकित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 02.55 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार व श्री महर्षि व्यास व परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा एवं आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री जीवण लाल पटेल, एएसआई में दिनांक 26.07.2025 को परिवादी श्री जीवा कटारा व सपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा एवं आरोपी श्री जीवण लाल पटेल के मध्य हुई मोबाईल वार्ता व रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता व दिनांक 29.07.2025 को हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ता रिकॉर्ड की गई वार्ताऐं जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल टेप रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, डिजीटल टेप रिकार्डर को श्री बाबुलाल कानि. से सरकारी कम्प्यूटर में कनेक्ट करा मूल मेमोरी कार्ड की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकोर्डर से पृथक कर मेमोरी कार्ड बरंग SANDISK 8 GB Micro SDHC मेमोरी कार्ड कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M-2 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03.05 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार व श्री महर्षि व्यास व परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिषचंद्र कटारा एवं आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री जीवण लाल पटेल, एएसआई में दिनांक 26.07.2025 को परिवादी श्री जीवा कटारा व सपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा एवं आरोपी श्री जीवण लाल पटेल के मध्य हुई मोबाईल वार्ता व रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता व दिनांक 29.07.2025 को हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ता रिकॉर्ड की गई वार्ताऐं जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल टेप रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, डिजीटल टेप रिकार्डर को श्री बाबुलाल कानि. से सरकारी कम्प्यूटर में कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव तथा तीसरी पेनड्राईव पर आरोपी लिखा गया। मूल पेनड्राईव SANDISK 8 GB Micro SDHC जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क MP सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। डब पेनड्राईव व आरोपी पेनड्राईव को अनशील्ड रखा जाकर खाकी लिफाफो में रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पष्चात समय करीब 03.20 ए.एम मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार व श्री महर्षि व्यास व परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा एवं आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री जीवण लाल पटेल, सहायक उप निरीक्षक में ट्रेप कार्यवाही के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393

के द्वारा कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला SANDISK 8 GB Micro SDHC मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क M अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03.25 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार व श्री महर्षि व्यास व परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा एवं आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री जीवण लाल पटेल, सहायक उप निरीक्षक में आरोपी से रिश्वत राशि बरामदगी एवं हाथ धुलाई के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बाबुलाल कानि. 393 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की तीन पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB की तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव, दूसरी पर डब पेन ड्राईव व तीसरी पर आरोपी पेन ड्राईव लिखा गया। मूल पेन ड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08GB को कवर में रख कर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर मार्क MV अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। डब पेन ड्राईव व आरोपी पेन ड्राईव को अनसिल्ड रखा जाकर खाकी लिफाफो में रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पष्चात समय करीब 03.30 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार व श्री महर्षि व्यास व परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा एवं आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री जीवण लाल पटेल, सहायक उप निरीक्षक कें रिहायशी आवास पुलिस थाना चैरासी के बैरीक के एक कमरे की खाना तलाशी के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल मे लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड बरंग काला SANDISK 8 GB Micro SDHC मेमोरी कार्ड को कवर में रख कर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क KHM अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03.35 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार व श्री महर्षि व्यास व परिवादी श्री जीवा कटारा व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा एवं आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध आरोपी श्री जीवण लाल पटेल, सहायक उप निरीक्षक में रिहायशी आवास पुलिस थाना चोरासी के बैरीक के एक कमरे की खाना तलाशी के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. 393 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से कनेक्ट करा विडियोग्राफी के SANDISK 8 GB Micro SDHC की एक डब पेनड्राईव तैयार की गयी। पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कर कवर को एक खाकी लिफाफे में रखकर लिफाफे के ऊपर चिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 04.00 ए.एम पर आरोपी श्री जीवण लाल पटेल हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चैरासी जिला डूंगरपुर से आवश्यक पूछताछ कर विस्तृत नोट अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। समय करीब 04.25 ए.एम पर अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री जीवण लाल पटेल पिता श्री नगजी पटेल उम्र 47 वर्ष जाति पटेल निवासी गांव कनबा पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चैरासी (झौथरी) जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35(B)(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो की पालना कर जरिये पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के साला सुरेश पिता खेमराजी पटेल निवासी माडा जिला डूंगरपुर जो इस समय ब्यूरो चोकी पर उपस्थित को नियमानुसार दी गई। समय करीब 04.30 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री जीवण लाल पटेल में जब्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की सिल्ड शिशियां, सिल्डशुदा पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड, जब्त शुदा पेन्ट पेकेट, जब्त शुदा आरोपी का मोबाईल व जब्त शुदा आर्टीकल्स को मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह को सुर्पद कर निर्देशित किया कि उक्त जप्तशुदा आर्टिकल को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री जीवा कटारा एवं सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र कटारा को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किये गये। समय करीब 04.35 ए.एम पर ब्यूरो जाप्ता श्री करणसिंह स.उ.नि., श्री महेशचन्द्र कानि. एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई का स्वास्थ्य परीक्षण कराने व बन्द हवालात पुलिस थाना सदर डूंगरपुर कराने हेतु मय तेहरीर के रवाना किया गया। समय करीब 05.30 ए.एम पर रवानाशुदा श्री करण सिंह स.उ. नि. मय् ब्यूरो जाप्ता महेश चन्द्र कानि. एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई का स्वास्थ्य परीक्षण राजकीय हरिदेवजोशी सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर से करा रवाना हो पुलिस

थाना सदर डूंगरपुर पंहुच आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआइ को बन्द हवालात करा परीक्षण रिपोर्ट व पुलिस थाना सदर डूंगरपुर के रोजनामचा आम की प्रतियो के साथ उपस्थित कार्यालय आये और परीक्षण रिपोर्ट मन् पुलिस निरीक्षक को पेश की जिसे शामील पत्रावली की गई। समय करीब 10.00 ए.एम पर श्री करण सिंह स.उ.नि. एवं महेश कानि. एवं जितेन्द्र कुमार कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई को पुलिस थाना सदर डुंगरपुर से प्राप्त कर ब्यूरों चोकी पर लाने हेतु रवाना किया गया। तत्पष्चात समय करीब 10.55 ए.एम पर श्री करण सिंह स.उ.नि. एवं महेश कानि. एवं जितेन्द्र कुमार कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई को पुलिस थाना सदर डुंगरपुर से प्राप्त कर ब्यूरों चोकी पर लेकर उपस्थित आये। तत्पश्यात समय करीब 02.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्री अखतर खान हैड कानि. श्री बाबु लाल कानि. श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक व आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई को सरकारी वाहन से जरिये जे.सी. रिमाण्ड के साथ माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर क्रमांक 01 के समक्ष पेश करने हेतु मय डायरी के रवाना हुआ। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से यह पाया गया हैं कि परिवादी परिवादी श्री जीवा पिता गौतम कटारा निवासी नेगाला फला भेरव उम्र 65 वर्ष व सहपरिवादी श्री हरिशचंद्र पिता शंकर कटारा नेगाला फला भेरव उम्र 25 वर्ष ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि " निवेदन इस प्रकार है कि मे जीवा पिता गोतम कटारा मिणा निवासी नेगाला फला भेरव उम्र 65 थाना झौथरी का इस प्रकार है कि मेरे छोटे भाई शंकर पिता गौतम कटारा व उसके लडके कालु को झौंथरी थाने के ASI साहब जीवनलाल जी ने कल दिनांक 25.7.25 को थाने मे बन्द कर दिया था मे छुडाने के लिऐ गया तो मेरे साथ भी गाली गलोज की मेने पुछा मेरे भाई और उसके लडके कालु को कयो बन्द किया तो उन्होने बताये कि 4 महिने पहले कालु और अनिल पिता शंकर जो तेरे भाई के लडके है। उन्होने लाबासादोड झगडा किया था जिस की रिपोट है मेने कहा शंकर को कयो बन्द किया तो ASI साहब ने कहा अनिल ले आओ और उसके बाप शंकर को ले जाओ जिस पर मेने अनिल को ले दिया फिर ASI साहब ने कहा खरर्चा करोगे तो मुकदमे मे मदद होगा मेने हा कहा जिस पर शंकर को छोड दिया उन्होने मेरे भाई शंकर के साथ मार पीट भी की थी मेने कालु व अनिल को छोडने ASI साहब को हाथ जोडे तो उन्होने कहा 10,000 हजार रूपीया ले आओ और इन्हे छुडाकर ले जाओ मेने 3000 रूपये देने को कहा लेकिन वो नही मान रहै है जिस पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाई गई। जिस पर मांग सत्यापन कराया गया तो दौराने मांग सत्यापन वार्ता आरोपी श्री जीवण लाल पटेल द्वारा परिवादी श्री जीवा कटारा के भतीजे अनिल एवं कालु कटारा को छोडने एवं उनके विरूद्ध दर्ज प्रकरण मे मदद करने की एवज मे 3000 रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण की गई एवं शेष राशि ग्रहण करने की सहमति देने की पुष्टि हुई। जिस पर ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री जीवण लाल पटेल एएसआई द्वारा परिवादी श्री जीवा कटारा से 5,000 रूपये रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया हैं, जो धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः श्री जीवण लाल पटेल पुत्र श्री नगजी पटेल जाति पटेल उम्र 47 वर्ष निवासी कनबा पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चैरासी (झौथरी) जिला डूंगरपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित हैं। (राजेन्द्र सिंह) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जीवण लाल पटेल पुत्र श्री नगजी पटेल जाति पटेल उम्र 47 वर्ष निवासी कनबा पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना चैरासी (झौथरी) जिला डूंगरपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री लक्ष्मण लाल डांगी, पुलिस निरीक्षक,भ्रनिब्यूरो, उदयपुर एस.यू.,उदयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 790 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1101-04 दिनांक 31-07-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1 उदयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3- पुलिस अधीक्षक, जिला डूंगरपुर।,4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर । उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** LAKSHMAN LAL DANGI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 31/07/2025 15:00:02

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	17/06/1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)